भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3257
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

सहजन-आधारित उत्पाद उद्योग

†3257. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के सहजन आधारित उत्पाद उद्योग के अनुमानित बाजार मूल्य और पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज की गई विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मूल्य संवर्धित सहजन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई विशेष पहलों, प्रमुख निर्यात गंतव्यों और इसी अवधि के दौरान निर्यात मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु के करूर जिले में सहजन आधारित उत्पादों की महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता से अवगत है, जिसका उद्योग अनुमान सालाना 5,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) करूर में सहजन उत्पादकों और उद्यमियों के लिए मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और बाजार संपर्कों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): चूंकि सहजन उत्पादों को वनस्पति, हर्बल अर्क और न्यूट्रास्युटिकल सामग्री को कवर करने वाले व्यापक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) वर्गीकरण के अंतर्गत निर्यात किया जाता है, इसलिए सहजन-आधारित उत्पादों के लिए अलग-अलग निर्यात आंकड़े विशेष रूप से सीमित है। तथापि, उद्योग के अनुमान बताते हैं कि भारत से सहजन-आधारित उत्पादों के निर्यात में पिछले पांच वर्षों में स्थिर वृद्धि देखी गई है, जो प्राकृतिक स्वास्थ्य पूरक के लिए बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप है। उद्योग के आकलन और व्यापार अनुमानों के आधार पर, भारत में घरेलू और निर्यात-उन्मुख सहजन उत्पादों का बाजार लगभग 400-500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा में होने का अनुमान है और पिछले पांच वर्षों में लगभग 8-10% की अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी गई है, जो पादप आधारित पोषण, प्राकृतिक पूरक और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की बढ़ती वैश्विक मांग से प्रेरित है। प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों और पादप से प्राप्त पोषण सामग्री में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता रुचि ने भी इस क्षेत्र के विकास को सहायता प्रदान की है।

(ख): भारत सरकार ने सहजन आधारित उत्पादों सहित मूल्य वर्धित पादप आधारित और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख पहलें शामिल हैं:

i. निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के माध्यम से निर्यात संवर्धन
ii. वाणिज्य विभाग के अंतर्गत चपड़ा और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफ़ैक्सिल) सहजन व्युत्पन्न सहित हर्बल अर्क, वानस्पतिक और पादप आधारित सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देती है।

iii. निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और वैश्विक न्यूट्रास्युटिकल प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जो भारतीय वनस्पति सामग्री और मूल्य वर्धित पादप उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

iv. गुणवत्ता और प्रमाणन समर्थन: निर्यातकों को बाजार पहुंच की सुविधा के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी), जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी), जैविक प्रमाणन और अन्य नियामक अनुपालन जैसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

v. मूल्य वर्धन पर फोकस: सरकारी पहलें प्रसंस्करण, निष्कर्षण और न्यूट्रास्युटिकल फॉर्मूलेशन को प्रोत्साहित करती है, जिससे निर्यातकों को कच्चे कृषि उत्पादों से उच्च मूल्य वाले न्यूट्रास्युटिकल और वेलनेस उत्पादों में स्थानांतरित करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, निर्यात में मुख्य रूप से सहजन पत्ती पाउडर, अर्क, कैप्सूल, चाय और न्यूट्रास्युटिकल सामग्री शामिल हैं, सहजन आधारित उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि हैं।

(ग): उद्योग हितधारकों और व्यापार स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु में करूर जिले और उसके आसपास सहजन आधारित उत्पाद उद्योग में महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता है और यह सहजन (सहजन ओलिफेरा) और सहजन आधारित उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों, न्यूट्रास्युटिकल घटक निर्माताओं और निर्यातकों को शामिल करते हुए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, जो सहजन पत्ती पाउडर, अर्क, आहार पूरक, हर्बल चाय और अन्य पौधों पर आधारित फॉर्मूलेशन जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं। तथापि, अब तक, सरकार जिला स्तर पर समेकित आधिकारिक डेटा नहीं रखती है।

(घ): एमओएफपीआई वर्ष 2017-18 से देश भर में केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित्त करता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं हैं (i) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना (ii) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना) (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स(ओजी योजना) (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना) (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना-दिनांक 01.04.2021 से बंद) और (vi) बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना दिनांक 01.04.2021 से बंद) ।

इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों अवसंरचना सुविधाएं सृजित होती हैं। घटक योजनाओं के अंतर्गत सृजित सुविधाएं कच्चे कृषि उत्पादों के परिरक्षण और प्रसंस्करण और कच्चे और तैयार प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के कुशल परिवहन में मदद करती हैं। योजनाएं मांग आधारित हैं और समय-समय पर निधि की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। योजनाओं के अंतर्गत, निधि राज्य-वार / क्षेत्र-वार आवंटित नहीं की जाती है। इसके अलावा, ये योजनाएं न केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा, बल्कि निजी फर्मों, कंपनियों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों आदि को भी शीत श्रृंखला/ प्रसंस्करण / भंडारण इकाइयों की स्थापना में भाग लेने की अनुमति देती हैं, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करें। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, 155 अनुमोदित परियोजनाओं में से 113 को 293.59 करोड़ रुपये के स्वीकृत अनुदान और 287.76 करोड़ रुपये के जारी अनुदान के साथ पूरा किया गया है, जिससे तमिलनाडु राज्य में प्रति वर्ष 11.95 एलएमटी की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन हुआ है।

इसके अलावा, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के करूर जिले सहित पूरे देश में पीएमएफएमई योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक तमिलनाडु राज्य में 538.50 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ 49048 निवल उद्यम हैं।

****